न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र मु.स. 37/2017

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री राजेश चाण्डक पुत्र श्री श्यामलाल चाण्डक(विक्रेता) मैसर्स स्टैण्डर्ड टी एजेन्सी, तोलियासर भैरूजी मन्दिर के पास, अलखसागर रोड़, बीकानेर निवासी पारीक चौक, भैरूजी मन्दिर के पास बीकानेर
2. श्री दिनेश चाण्डक पुत्र श्री शंकरलाल चाण्डक(भागीदार विक्रेता फर्म) मैसर्स स्टैण्डर्ड टी एजेन्सी, तोलियासर भैरूजी मन्दिर के पास, अलखसागर रोड़, बीकानेर निवासी एसडी 98 जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर
3. श्री रमेश कुमार चाण्डक पुत्र श्री शंकरलाल चाण्डक(भागीदार विक्रेता फर्म) मैसर्स स्टैण्डर्ड टी एजेन्सी, तोलियासर भैरूजी मन्दिर के पास, अलखसागर रोड़, बीकानेर निवासी एसडी 98 जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर
4. मैसर्स स्टैण्डर्ड टी एजेन्सी, तोलियासर भैरूजी मन्दिर के पास, अलखसागर रोड़, बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 26 उप धारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से – श्री रविकान्त वर्मा अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक :– 02.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 13.09.2017 को अप्रार्थीपक्ष श्री राजेश चाण्डक पुत्र श्री श्यामलाल चाण्डक (विक्रेता) मैसर्सः स्टैण्डर्ड टी एजेन्सी, तोलियासर भैरूजी मन्दिर के पास, अलखसागर रोड़ बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान कुल 24 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 250 ग्राम खाद्य पदार्थ चाय (मान मुनहार) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त 24 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 250 ग्राम में से 8 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 250 ग्राम चाय (मान मुनहार)वास्ते नमूना संग्रह हेतु उनके द्वारा बताये अनुसार कुल कीमत 560/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खासुअ, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त चाय (मान मुनहार)के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–909 अंकित कर तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना भाग (दो पोली पैक्ड थैलिया प्रत्येक नमूना भाग) पर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग चपडी से सील मोहर कर एक सीलयुक्त पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 26.09.2017 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें चाय (मान मुनहार)मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा चाय (मान मुनहार)मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री रविकान्त वर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तद्न्तर उभय पक्ष का कथन सुना गया।

3. प्रार्थी श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से चाय (मान मुनहार)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Tea (Mannuhgar) bearing Code No. and Sr. No. AB-909 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां चाय (मान मुनहार)मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खादय सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा बाजार से शुद्व व ताजी चाय पत्ती क्रय कर उसे आम जनता को विक्रय किया जाता है। फर्म द्वारा पिछले 30–35 वर्षो से ग्राहकों को उच्च गुणवता की चाय पत्ती विक्रय की जाती है। जिस कारण आज तक ग्राहकों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । पैक्ड थैली जो नमूने हेतु संग्रह की गई है वह अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 से क्रय की गई है जिसका रसीद पर अंकित नहीं किया गया। नमूना जब्ती की कार्यवाही की गई है वह एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक नहीं की गई है। सील करते समय विभाग की मोहर का इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही सील को मोम से चिपकाया गया और ना ही जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को भिजवाई गई। अप्रार्थीगण द्वारा कभी मिसब्राण्ड का प्रोडक्ट नहीं बेचा ना ही कोई ऐसा कार्य किया है जिससे ग्राहकों का घटिया माल, या दूषित माल प्रयोग में लाया जा रहा हों। जिसमें चाय पत्ती पीने से किसी को कोई बीमारी हुई हो या कोई बीमार हुआ हो ऐसी शिकायते कभी नहीं आई है। अप्रार्थीगण द्वारा पॉली पैक मान मुनहार को एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए विक्रय किया जा रहा है। जिसमें सभी अक्षर संतुलित मात्रा में, मानकों के अनुसार अक्षरशः अंकित किये गये है। "Best before" का नहीं लिखा होना, या उससे किसी प्रकार की कमी होना गलत बयान किया गया, और उक्त "Best before" small letter में लिखा होने से खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों में किसी प्रकार की कमी होती हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

5. इसके विपरीत खादय सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर चाय (मान मुनहार)का सैम्पल लिया गया जो मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष को पुनः जांच करवाने हेतु पत्र क्रमांक 6939–40 दिनांक 24.10.2017 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया है तथा फर्द रिपोर्ट पर दोनों ही गवाह स्वत्रंत है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 का उल्लंघन किया है। जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी के यहां चाय (मान मुनहार)मिसब्राण्ड स्तर की पाई गई है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई चाय (मान मुनहार)की सैम्पलिंग रिर्पोट में चाय (मान मुनहार)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S./2017/Act/ 2017/2090 दिनांक 26.09.2017 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of "Tea (Maan Manuhgar) bearing Code No. and Sr. No. AB-909 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां चाय (मान मुनहार)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

7. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड चाय (मान मुनहार)(मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **20,000/–** अखरे रूपये **बीस हजार मात्र** की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. अप्रार्थीगण 1 ता 4 द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली पैक्ड चाय (मान मुनहार)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण,वितरण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आरोपित शास्ति रू. **20,000/–** अखरे **बीस हजार** रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को समान रूप से दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 समान रूप से आरोपित राशि रूपये. 20,000/– का 1/4 शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 शास्ति राशि अदा करेगें।

9. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner